270

1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण निगरानी 212-III-15

संतोष कुमार द्विवेदी पिता श्री रामाधार द्विवेदी
निवासी–ग्राम पचौर थाना बरगवा जिला–सीधी म.प्र.

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

कलेक्टर, जिला–शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ–74/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 21–05–2010 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, कलेक्टर ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किये बिना विवादित आदेश पारित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, आवेदक ने ग्राम–सोहागपुर भूमि सर्वे क्रमांक 497 के बटांकित सर्वे क्रमांक 497/2 में से 0.26 एकड़ का भूखण्ड अभिलिखित भूमि स्वामी असलम पिता अहमद अली से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 04–12–2002 को क्रय किया था विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण दिनांक 05–01–2004 को सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाकर भू–अधिकार पुस्तिका प्रदान की गयी थी क्रय करने के दिनांक से आवेदक का निरन्तर आधीपत्य चला आ रहा है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-212-तीन/2015 जिला शहडोल संतोष विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019 16.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क्रमांक 23/अ-74/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21-05-2010 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-01-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 16-01-19 सदस्य	